राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 / 01 आश्विन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0—विधायन—विधेयक / 1—52 / 2023.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम—140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक,

2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्याक 17

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. अनुसूची 1–क का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्याक 17

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत हो:–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. **अनुसूची 1–क का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में,–

(क) अनुच्छेद 3 में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुच्छेद 4 में, "दस रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) अनुच्छेद 5 में, "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) अनुच्छेद 23 में,–

(i) "सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय मूल्य की रकम का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत" शब्दों, अंकों और चिन्ह के स्थान पर "पचास लाख

तक के सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत और पचास लाख से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम की सम्पत्ति, जो भी अधिक हो, के लिए 8.00 प्रतिशत" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ii) दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित शब्दों के पश्चात् "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु, यदि विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर वही क्रेता और विक्रेता, विक्रय विलेख, जिसका बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम पूर्वतर विलेख (विलेखों) की रकम सहित, पचास लाख रुपए से अधिक हो, के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो पूर्वतर मामलों सहित समस्त मामलों में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

(ङ) अनुच्छेद 31 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सम्पत्ति का विनिमय (आदान–प्रदान) विलेख।

(क) रक्त संबंधी व्यक्तियों (एक ही पूर्वज से अवजनित) और पति और पत्नी के मध्य।

न्यूनतम सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन विनिमय की गई सम्पत्ति के निम्नतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत;

(ख) ऐसे व्यक्तियों, जो रक्त-संबंधी नहीं हैं के मध्य।

न्यूनतम सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन, विनिमय की गई सम्पत्ति के निम्नतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत; और अनुच्छेद 23 के अनुसार सम्पत्ति के उच्चतर मूल्य में से सम्पत्ति के निम्नतर मूल्य को घटाकर प्राप्त मूल्य।";

(च) अनुच्छेद 33 में,–

(i) "सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ''महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत" शब्द, अंक और चिन्ह के स्थान पर "पचास लाख तक के सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत और पचास लाख से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम की समस्त सम्पत्ति के लिए 8.00 प्रतिशत" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) अनुच्छेद 33 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक रखे जायेंगे, अर्थात्:–

"परन्तु यदि दान विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर वही प्रदाता और आदाता दान विलेख जिसका बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम पूर्वतर विलेख (विलेखों) की रकम सहित, पचास लाख रुपए से अधिक हो, वही प्रदाता और आदाताए आवेदन करते हैं तो पूर्वतर मामलों सहित समस्त मामलों में 8.00 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जायेगाः

"परन्तु यह और कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, रक्त संबंधी व्यक्तियों (एक ही पूर्वज से अवजनित) और पति और पत्नी के मध्य न्यूनतम पांच हजार रुपए और अधिकतम दस हजार रुपए के अध्यधीन अंतरित संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा। '';

(छ) अनुच्छेद 35 में "5.00 प्रतिशत" अंकों और चिन्हों के स्थान पर, 6.00 प्रतिशत अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ज) अनुच्छेद 40 में;—

(i) खण्ड (क) में ,—''सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 4.00 प्रतिशत महिलाओं के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत अंकों, चिन्हों और शब्दों के स्थान पर पचास लाख तक के सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत और पचास लाख से अधिक बाजार मूल्य सम्पत्ति या प्रतिफल रकम की सम्पत्ति, जो भी उच्चतर हो के लिए 8.00 प्रतिशत'' शब्द अंक और चिन्ह रखें जाएंगे;

(ख) "दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित" शब्दों के पश्चात् चिन्ह "।" के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यदि एक वर्ष के भीतर, वही बंधककर्ता और बंधकदार बंधक विलेख जिसका बाजार मूल्य या प्रतिभूत रकम पूर्वतर विलेख (विलेखों) की रकम सहित पचास लाख से अधिक है, के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो पूर्वतर मामलों सहित, समस्त मामलों में 8.00 प्रतिशत स्टांप शुल्क प्रभारित किया जाएगा; और

(ii) खंड (ख) में, "न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) अनुच्छेद 48 के खण्ड (क), (ख) और (ग) में "एक सौ रुपए", "एक सौ पचास रुपए" और "दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "एक हजार रुपए", "एक हजार पांच सौ रुपए" और "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ञ) अनुच्छेद 58 के खण्ड क में "न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन'' शब्दों के स्थान पर "न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए के अध्यधीन'' शब्द रखे जाएंगे।

——————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन विभिन्न लिखतों की बाबत स्टाम्प शुल्क की दरें पिछले दस वर्षों से संशोधित नहीं की गई हैं। पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न परिशिष्ट 1—क में विभिन्न अनुच्छेदों की शुल्क—दरों को संशोधित करना समय की आवश्यकता है।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची—1 क को संशोधित करके दत्तक ग्रहण, हस्तांतरण पत्र, सम्पत्ति का विनिमय, दान, पट्टा, बंधक, मुखतारनामा और बंदोबस्त की बाबत स्टाम्प शुल्क की विद्यमान दरों में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः

तारीखः ...., 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (नस्ति संख्याः–)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः ...., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 17 OF 2023

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of Schedule 1-A.

BILL NO. 17 OF 2023

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable in the State of Himachal Pradesh, in Schedule 1-A,—

(a) in article 3, for the words "One hundred rupees", the words "One thousand rupees" shall be substituted;

(b) in article 4, for the words "Ten rupees", the words "Twenty rupees" shall be substituted;

(c) in article 5, for the words "Fifty rupees", the words "One hundred rupees" shall be substituted;

(d) in article 23,—

(i) for figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property or of the amount of purchase money, whichever

is higher", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, upto Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher; and 8% for all above Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher" shall be substituted;

(ii) after the words "rupees Ten" for the sign ",", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if within one year from the date of registration of the sale deed, the same purchaser and seller apply for the registration of sale deed, having market value or consideration amount more than Rupees fifty lakh including the amount of the earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases, shall be charged.";

(e) for article 31, the following shall be substituted, namely:—

"**Exchange of Property, Instrument of.**

(a)	between persons of blood relation (common ancestors) and between wife and husband;	0.05% of the lower value of the exchanged property, subject to the minimum of Rupees one hundred and maximum Rupees one thousand;
(b)	between persons not related by blood relations.	0.05% of the lower value of the exchanged property, subject to the minimum of Rupees one hundred and maximum Rupees one thousand; and as per article 23 on the value arrived at after deducting the lower value of property from the higher value of the property.".

(f) in article 33,—

(i) for the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, upto Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher and 8% for all above Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the amount of consideration amount whichever is higher" shall be substituted; and

(ii) at the end of article 33, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that if within one year, the same donor and donee apply for the registration of gift deed, having market value or consideration amount more than Rupees fifty lakh including the amount of earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases shall be charged:

Provided further that for the purpose of this article, 0.05% of the market value of the transferred property in between persons of blood relation (common ancestors) and between husband and wife, subject to minimum Rupees five thousand and maximum Rupees ten thousand shall be charged.";

(g) in article 35, for the figures and sign "5.00%", the figures and sign "6.00%" shall be substituted;

(h) in article 40,—

(i) in clause (a),—

(a) after the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, upto Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher and 8% for all above Rupees fifty lakh of the market value of the property " shall be substituted;

(b) after the words rupees Ten for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if within one year, the same Mortgagor and Mortgagee apply for the registration of mortgage deed, having market value or secured amount more than Rupees fifty lakh including the amount of earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases shall be charged; and

(ii) in clause (b), the words "subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to the nearest rupees Ten" shall be deleted;

(i) in the article 48, in clauses (a), (b) and (c), for the words "One hundred rupees", "One hundred and fifty rupees" and "Two hundred rupees" the words "One thousand rupees", "One thousand and five hundred rupees" and "Two thousand rupees" shall be substituted respectively; and

(j) in article 58, in clause A, for the words "subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand", the words "subject to minimum of rupees two thousand and maximum rupees five thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rates of Stamp Duty in respect of various instruments under the Indian Stamp Act as applicable in the State of Himachal Pradesh have not been revised for the last 10 years. It is the need of the hour to revise the rates of duties of different articles in the Schedule 1-A appended to the Act *ibid*.

As such, it has been proposed to make necessary changes in the existing rates of stamp duty in respect of adoption, conveyance, exchange of property, gift, lease, mortgage, power of attorney and settlement by amending Schedule-1A appended to the Act *ibid*, in its application to the State of Himachal Pradesh. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The................................, 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Rev. Stamp(F)1-1/2005-V)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2023, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No.2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA :

THE ...., 2023

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–50 / 2023.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।